क.

प्रज्ञा शाह बनाम.

डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। (2021 की सिविल अपील संख्या 7724-7725) 12 जनवरी, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986-पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना और क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030-एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर पहले प्रतिवादी द्वारा दायर एक मूल आवेदन की अनुमति दी, जिसमें राजस्थान राज्य द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030 को माउंट आबू पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के लिए चुनौती दी गई थी-विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि को निर्माण के लिए अयोग्य घोषित किया गया था-अपीलकर्ता द्वारा दायर समीक्षा को एनजीटी द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, कहा गयाःविशेषज्ञ समिति ने यह निर्धारित करने के लिए वैध कारण प्रस्तुत किए हैं कि निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके-विशेषज्ञ समिति ने नोट किया है कि जबकि आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित स्थल कम ढलानों की भूमि को कवर करता है जो स्थिर है, यह एक उच्च ढलान क्षेत्र वाली भूमि को भी कवर करता है जो निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है-निम्न ढलान क्षेत्र स्थल वन्यजीवों के लिए एक निवास स्थान है और सुस्ती भालू के पैरों के निशान भी देखे गए थे और इस संदर्भ में विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित किया था कि निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-उच्च ढलान क्षेत्र वाले स्थानों पर, परिदृश्य को मिट्टी के कटाव के मामले में नाजुक माना गया था-इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने राय दी कि प्रस्तावित पर्यटन सुविधा केंद्र वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है-ईएसजेड अधिसूचना आवश्यक है, अन्य बातों के साथ-साथ।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

इसकी शर्तों का पालन करना और उल्लंघन में किसी भी कार्रवाई को अमान्य होने का खतरा होना चाहिए-एनजीटी ने जेडएमपी 2030 को ईएसजेड अधिसूचना और एहतियाती सिद्धांत के अनुरूप लाने के लिए सही ढंग से संशोधित करने का निर्देश दिया था-विशेष रूप से, इसने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश को सही ढंग से बरकरार रखा कि अपीलकर्ता की भूमि पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पर्यावरण कानून-एहतियाती सिद्धांत-आयोजितःएहतियाती सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि राज्य केवल इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि सभी वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं-यदि यह सुझाव देने के लिए कुछ डेटा है कि पर्यावरण क्षरण संभव है, तो राज्य को इसे होने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

ग

अपील को खारिज करते हुए, अदालत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के गुण-दोष

पकड़नाः**1.** जहाँ तक इस अपील **("**एसटीपी संयंत्र के पास**")** में विवादित स्थल के संबंध में, विशेषज्ञ समिति ने यह निर्धारित करने के लिए वैध कारण प्रस्तुत किए हैं कि निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके।विशेषज्ञ समिति ने नोट किया है कि आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित स्थल कम ढलानों की भूमि को कवर करता है जो स्थिर है, यह उच्च ढलान क्षेत्र वाली भूमि को भी कवर करता है जो निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।उच्च ढलान क्षेत्र वाले स्थानों पर, मिट्टी के कटाव के मामले में परिदृश्य को नाजुक माना गया था।इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने राय दी कि प्रस्तावित पर्यटन सुविधा केंद्र वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है।इसके अतिरिक्त, हालांकि कम ढलान वाला क्षेत्र निर्माण के लिए उपयुक्त हो सकता है, यह स्थल वन्यजीवों के लिए एक निवास स्थान है और क्षेत्र की यात्रा के दौरान स्लोथ भालू के पैरों के निशान भी देखे गए थे।यह इस संदर्भ में था कि विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित किया कि पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए साइट पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इसकी तुलना में, "सनसेट रोड स्कीम" और "सनराइज हाउसिंग सोसाइटी" स्थलों के संदर्भ में तालिका **16** में निहित अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि निर्माण के लिए स्थलों के स्थान और उपयुक्तता में भौतिक अंतर है।**[**पैरा **24] [174-**ए**-**ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

एहतियाती सिद्धांत

2. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एहतियाती सिद्धांत के अनुरूप है।इसलिए रिपोर्ट को एनजीटी द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया है क्योंकि यह एनजीटी अधिनियम की धारा **20** के तहत एहतियाती सिद्धांत का पालन करने के लिए अनिवार्य है। एहतियाती सिद्धांत के तहत राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को होने से रोकने के लिए पहले से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, न कि एक बार नुकसान होने के बाद उपाय अपनाने की।इस तरह की कार्रवाई कब की जाए, यह तय करने में राज्य सटीक वैज्ञानिक नुकसान की गणना करने में वैज्ञानिक अनिश्चितता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकता है।**[**पारस **25** और **31] [174-**ई**-**एफ**; 177-**जी**-**एच**]**

ग

3. एहतियाती सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि राज्य केवल इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि सभी वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।यदि कुछ आंकड़े बताते हैं कि पर्यावरण क्षरण संभव है, तो राज्य को इसे होने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए।वास्तव में, यह विचार ही था जिसने टी. एन. गोडावर्मन में इस न्यायालय को राज्य को पूरे भारत में ई. एस. जेड. की पहचान करने का निर्देश देने के लिए मजबूर किया, ताकि उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कदम उठाए जा सकें जहां पर्यावरण क्षरण की अधिक संभावना है और इस तरह के क्षरण को रोकने

के लिए एक योजना बनाई जा सके, इससे पहले कि यह वास्तव में नुकसान को अपरिवर्तनीय बना दे।[पैरा **32] [180-**जी-एच**; 181-**ए**]**

डी.

ई.

4. ई**.** एस**.** जेड**.** अधिसूचना के तहत माउंट आबू की पहचान ई**.** एस**.** जेड**.** के रूप में की गई थी।ऐसा करने का कारण यह है कि राज्य ने माना कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यावरणीय क्षरण एक वास्तविक संभावना है।विकासात्मक गतिविधियों के कारण काफी मात्रा में मिट्टी का कटाव, वायु और जल प्रदूषण पहले ही हो चुका है।ईएसजेड अधिसूचना में पाठ माउंट आबू के पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हैं क्योंकि इसमें भाग एच **32** में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और सदाबहार वन दोनों शामिल हैं**;** इसकी वनस्पतियों और जीवों में कई स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं**;** और इसमें न केवल नक्की झील जैसी प्राकृतिक विरासत ही नहीं बल्कि दिलवाड़ा मंदिरों जैसे मानव निर्मित विरासत स्थल भी शामिल हैं।ई**.** एस**.** जेड**.** अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजस्थान राज्य को जेड**.** एम**.** पी**. 2030** तैयार करने की आवश्यकता थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संभावित पर्यावरणीय क्षरण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में भविष्य की विकास गतिविधियों की योजना बनाई जा सके।

च

जी.

एच.

157

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस।

एहतियाती सिद्धांत।ई**.** एस**.** जेड**.** अधिसूचना संघ के कानून के वैधानिक अधिदेश द्वारा समर्थित है।यह अधिसूचना माउंट आबू के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक प्रवर्तनीय चार्टर है। प्रत्येक प्राधिकारी अपनी शर्तों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उल्लंघन में किसी भी कार्रवाई को अमान्य होने का खतरा होना चाहिए।[पैरा **33] [181-**ए**-**ई**]**

एम**.** सी**.** मेहता बनाम भारत संघ **(2004) 12** एससीसी **118:[2004] 3** एससीआर **126;** रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल रिसोर्स पॉलिसी बनाम भारत संघ **(2005) 10** एससीसी **510;** हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन। मुदुमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा **(2020) 10** एस**.** सी**.** सी**. 589:[2020] 10** एससीआर **273;** एच**.** पी**.** बस**-**स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण बनाम केंद्रीय अधिकार प्राप्त

ग

समिति (2021) 4 एस. सी. सी. 309:2021 (1) जे. टी. 187-पर भरोसा किया।

टी**.** एन**.** गोडावर्मन बनाम भारत संघ और अन्य। **1995** की रिट याचिका संख्या **202;** मंत्री टेकजोन **(**पी**)** लिमिटेड बनामफॉरवर्ड फाउंडेशन **(2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 494;** ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य **2021**

डी.

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 897-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

पर भरोसा किया

पैरा **27**

[2020] 10 एससीआर **273**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 7724-7725।

च

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 2016 के मूल आवेदन No.312 के निर्णय और आदेश से और 2016 के मूल आवेदन No.312 में 2021 के समीक्षा आवेदन No.26 में दिनांकित 29.07.2021 आदेश से।

मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, आदित्य वैभव सिंह, सुश्री सौम्या गुप्ता, सुश्री आरुषि सिंह, सुश्री विधि ठाकर, सुश्री निधि जसवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, समीर पारेख, विनय त्रिपाठी, सुमित गोयल, सुश्री नीना आर. नरीमन, सुश्री गीतिका कपूर, तनुज अग्रवाल, परितोष अरोड़ा, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

158

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

ए द अपील

बी पर्यावरण**-**संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना और क्षेत्रीय मास्टर प्लान **2030**

सी**.** एन**.** जी**.** टी**.** के समक्ष कार्यवाही डी**.** वकील की प्रस्तुतियाँ ई**.** एन**.** जी**.** टी**.** का अधिकार क्षेत्र

ग

एफ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के गुण जी सावधानी सिद्धांत

एच निष्कर्ष

डी.

ए द अपील

1. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 1 की धारा 22 के तहत ये अपीलें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2 के 10 मार्च 2021 और 29 जुलाई 2021 के फैसलों से उत्पन्न होती हैं।10 मार्च 2021 के अपने फैसले द्वारा, एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत 3 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के आधार पर, पहले प्रतिवादी द्वारा दायर एक मूल आवेदन 4 की अनुमति दी, जिसने माउंट आबू पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र 6 के लिए राजस्थान राज्य द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030 5 को चुनौती दी।विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी के स्वामित्व वाली भूमि को निर्माण के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।इसके अलावा, 29 जुलाई 2021 के अपने फैसले द्वारा, एनजीटी ने समीक्षा के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया जो अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था।

ई.

च

जी.

1 “ एनजीटी अधिनियम "2" एनजीटी "

3 “ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट "

4 2016 का मूल आवेदन संख्या 312

5 “ जेडएमपी 2030 "6" ईएसजेड "

7 2021 ए की आवेदन संख्या 26 की समीक्षा करें

एच.

159

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

बी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना और क्षेत्रीय मास्टर प्लान

2030

2. अपीलार्थी राजस्थान राज्य में माउंट आबू में स्थित भूमि के एक निश्चित हिस्से का मालिक है।अपीलार्थी का दावा है कि माउंट आबू के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2025 में भूमि को "आवासीय" और "पर्यटक सुविधा" के रूप में निर्धारित किया गया था।

3. 25 जून 2009 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 8 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना 9 जारी की जिसके द्वारा उसने माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किया। ईएसजेड अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।ई. एस. जेड. अधिसूचना की प्रस्तावना में माउंट आबू के पारिस्थितिक महत्व पर जोर देने वाले पाठ शामिल हैं:

ग

“S.O.1545 (E)-जबकि माउंट आबू क्षेत्र का महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व है जिसमें कम ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और अधिक ऊंचाई पर सदाबहार वन शामिल हैं और इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों में कई स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं; इसके अलावा माउंट आबू में नक्की झील और दिलवाड़ा मंदिरों और अन्य विरासत इमारतों और संरचनाओं जैसी मानव निर्मित विरासत जैसी प्राकृतिक विरासत है।

डी.

ई.

और चूंकि, कुछ विकासात्मक गतिविधियों के कारण अत्यधिक मिट्टी के कटाव और जल और वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण के क्षरण के कारण पर्यावरण पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों को खतरा है, बल्कि जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को भी प्रभावित कर रहा है।

च

और क्योंकि, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है;

और क्योंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

जी.

8 “ एमओईएफ एंड सीसी "

9 “ ईएसजेड अधिसूचना "10" ईपी अधिनियम "

एच.

भारत के राजपत्र में, असाधारण, पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. संख्या 2497 (ई), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत आवश्यक है, उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हैं जिनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर जिस दिन उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं।

और जहां, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां 22 अक्टूबर, 2008 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

ग

और चूंकि, उपर्युक्त मसौदा अधिसूचना के जवाब में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राजस्थान राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न माउंट आबू और आसपास के क्षेत्र को माउंट आबू पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (जिसे इसके बाद "पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र" कहा जाता है) के रूप में अधिसूचित करती है।"

डी.

ई.

4. ई. एस. जेड. अधिसूचना से पहले एक मसौदा तैयार किया गया था, जिस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। ई. एस. जेड. अधिसूचना ई. एस. जेड. की सीमाओं को रेखांकित करती है जिसमें गतिविधियों को विनियमित किया जाना है। अधिसूचना में वंचित क्षेत्रों की बहाली, नक्की झील सहित मौजूदा जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जलग्रहण

प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की जरूरतों के संरक्षण, विरासत स्थलों (प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों) और उनके आसपास के संरक्षण और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए एक नई क्षेत्रीय मास्टर प्लान 11 तैयार करने की परिकल्पना की गई है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।जेड. एम. पी. तैयार करने के संबंध में ई. एस. जेड. अधिसूचना का खंड 3 (1) (i) नीचे दिया गया हैः

च

जी.

11 " जेडएमपी "

एच.

161

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

"3. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों को विनियमित किया जाना है, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लानः**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

(i) पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और पर्यावरण और वन मंत्रालय में केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5. ई. एस. जेड. अधिसूचना में राजस्थान राज्य के लिए सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा एक पर्यटन मास्टर प्लान 12 तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है।टी. एम. पी. जेड. एम. पी. का एक घटक होगा, और ई. एस. जेड. के विस्तृत वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगा। इसके अलावा, वहन क्षमता अध्ययन मौजूदा बुनियादी ढांचे पर आधारित होना चाहिए न कि किसी ऐसी परियोजना के भविष्य के अनुमानों पर जिसके लिए पर्यावरण या वन मंजूरी की आवश्यकता हो।माउंट आबू में प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत की ओर इशारा करते हुए, ईएसजेड अधिसूचना में कहा गया है किः

ग

डी.

"3. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों को विनियमित किया जाना है, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

[...]

ई.

(9) मानव निर्मित विरासतःमाउंट आबू कई मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से सबसे प्रमुख दिलवाड़ा मंदिर हैं और मुख्य विरासत और ऐतिहासिक इमारतें अचलगढ़ किला, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, नेमिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर मंदिर आदि हैं।उनके संरक्षण की योजनाओं को क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय मास्टर प्लान में तैयार और शामिल किया जाएगा और विरासत स्थलों पर या उनके आसपास विकास या निर्माण गतिविधियों को राजस्थान स्मारक, पुरातत्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत और 1995 में पर्यावरण और वन मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए मसौदा मॉडल विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

च

जी.

12 “ टीएमपी "

एच.

162 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

(10) पानीः

(i) जहां संभव हो, नगरपालिका क्षेत्र में सभी भावी और मौजूदा भवन अपने आधार क्षेत्र के अनुरूप छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं प्रदान करेंगे और संस्थागत और वाणिज्यिक भवन मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं से इस तरह से पानी नहीं लेंगे जिससे विशेष रूप से स्थानीय गांवों या बस्तियों को पानी की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ii) गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन ऐसी संरचनाओं के माध्यम से किया जाएगा जैसे कि रिसाव टैंक और भंडारण टैंक और केवल अन्य साधन।भूजल जलभृत पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा जहां ऐसी संरचनाओं से ढलान की अस्थिरता पैदा नहीं होती है।

ग

(iii) तूफानी जल नालियों के माध्यम से एकत्र किए गए वर्षा जल का उपयोग भूजल को रिचार्ज करने या अपशिष्ट निपटान नालियों और सीवरों को साफ करने के लिए किया जाएगा।

डी.

((iv) भूजल के निष्कर्षण की अनुमति केवल भूखंड के अधिभोगियों की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए दी जाएगी और औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय संपदाओं या परिसरों के लिए भूजल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूजल विभाग से निकाली जा सकने वाली राशि सहित पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।हालांकि, भूजल से समृद्ध क्षेत्रों को निर्माण गतिविधियों के लिए नहीं मोड़ा जा सकता है।(v) राज्य भूजल विभाग की पूर्व मंजूरी के अलावा भूजल की किसी भी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और कृषि सहित जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

ई.

च

(vi) इस क्षेत्र में तीन बड़े जल निकाय हैं-ऊपरी कोडरा बांध, निचला कोडरा बांध और नक्की झील और इसके अलावा इस क्षेत्र में लगभग 25 जल स्थल हैं, जहां साल भर पानी रहता है, जिसमें प्राकृतिक नाला, बांध, एनीकट, रिसाव और बाओरी शामिल हैं जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।[...]

जी.

(13) पहाड़ी ढलानों का विकास और संरक्षणः

(i) क्षेत्रीय मास्टर प्लान पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों को इंगित करेगा जहां विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एच.

163

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(ii) खड़ी ढलान वाले क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया जाएगा जो फॉल्ट या खतरे वाले क्षेत्रों में आते हैं या स्प्रिंग लाइनों और फर्स्ट ऑर्डर धाराओं या ढलानों पर पड़ने वाले क्षेत्रों में उच्च स्तर के कटाव के साथ आते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पहचाना गया है।

(iii) उच्च स्तर के कटाव के साथ मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

6. ई. एस. जेड. अधिसूचना के खंड 4 के तहत केंद्र सरकार को एक निगरानी समिति का गठन करना होगा।ई. एस. जेड. अधिसूचना के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2009 को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के माध्यम से एक निगरानी समिति का गठन किया गया था।निगरानी समिति के गठन को 24 जनवरी 2012 और 5 मई 2015 को संशोधित किया गया था।

ग

7. अपीलार्थी को शिकायत है कि जब जेड. एम. पी. 2030 का मसौदा प्रकाशित किया गया था, तो उसकी भूमि की स्थिति को गलत तरीके से "आवासीय" और "पर्यटक सुविधा" से "कृषि क्षेत्र" में बदल दिया गया था।अपीलार्थी ने इसे निगरानी समिति के अध्यक्ष, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. और राजस्थान राज्य के समक्ष चुनौती दी।इसके आधार पर, अपीलार्थी की भूमि की स्थिति को फिर से "आवासीय" और "पर्यटक सुविधा" में बदल दिया गया।इसके बाद, 28 सितंबर 2015 को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. की मंजूरी के बाद, 29 अक्टूबर 2015 को राजस्थान राज्य द्वारा जेड. एम. पी. 2030 को अधिसूचित किया गया था।

डी.

ई.

सी. एन. जी. टी. के समक्ष कार्यवाही

8. जेड. एम. पी. 2030 को प्रथम प्रतिवादी द्वारा उनके मूल आवेदन द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह ई. एस. जेड. अधिसूचना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह विरासत स्थलों पर या उनके पास निर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित करने, मौजूदा जल निकायों का संरक्षण करने और भूमि परिवर्तन की अनुमति देने में विफल रहता है।चूंकि पहले प्रतिवादी के मूल आवेदन में अपीलार्थी की भूमि का उल्लेख किया गया था, इसलिए अपीलार्थी को 10 अप्रैल 2017 के अपने आदेश में एनजीटी द्वारा कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी।

च

जी.

9. 26 नवंबर 2018 को, एनजीटी ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पहले प्रतिवादी के मूल आवेदन में तर्क दिया गया था कि जेडएमपी 2030 ने तेरह स्थानों पर भूमि उपयोग के अवैध परिवर्तन की अनुमति दी थी, ईएसजेड अधिसूचना के सीधे विरोधाभास में, जिसमें अपीलार्थी की भूमि शामिल थी।प्रथम प्रतिवादी के मूल आवेदन में किए गए दावों का आकलन करने के लिए, एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें

एच.

एमओईएफ एंड सीसी के दो प्रतिनिधियों, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के एक प्रतिनिधि (क्योंकि इसे राजस्थान राज्य द्वारा एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था), और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि 13.विशेषज्ञ समिति का अधिदेश इस प्रकार थाः“21. समिति एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. दिनांकित 28.09.2015 और ई. एस. जेड.

अधिसूचना दिनांकित 25.06.2009 के संदर्भ में जेड. एम. पी. 2030 की तुलना करेगी और ई. एस. जेड. अधिसूचना के आलोक में पहले से मौजूद 2010 के मानचित्र के संदर्भ में जेड. एम. पी. 2030 मानचित्र की तुलना करने के अलावा कुछ में विचलन को इंगित करेगी।ऊपर उल्लिखित तेरह (13) स्थानों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।विशेषज्ञ समिति प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, कचरा/या किसी अन्य अपशिष्ट को जलाने, विशेष रूप से सलीम अली पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में जानवरों और पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए उच्च तनाव रेखाओं को उचित रूप से बिछाने, जंगल की आग को रोकने, नक्की झील का संरक्षण और जल गुणवत्ता प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (अभयारण्य क्षेत्र के संदर्भ में) के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और संचालन, पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर भी विचार कर सकती है, जो कासुआली मामले में इस न्यायाधिकरण की टिप्पणियों सहित जेडएमपी 2030 का हिस्सा बन सकते हैं।

ग

डी.

22. समिति हरित क्षेत्रों को गैर-हरित क्षेत्रों में बदलने, उच्च डिग्री ढलानों पर निर्माण की अनुमति, चट्टानों, जल निकायों और वन्यजीवों और अन्य विरासत स्थलों के संरक्षण, पानी की कमी के मुद्दे, भविष्य के अनुमान पर भरोसा किए बिना बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनुमति दिए जाने वाले पर्यटकों और वाहनों की संख्या के संबंध में माउंट आबू की वहन क्षमता के संबंध में आवेदक द्वारा उठाए गए चिंता के बिंदुओं पर भी विचार करेगी, जैसा कि ईएसजेड अधिसूचना के संदर्भ में आवश्यक है।"10. विशेषज्ञ समिति ने 4 सितंबर 2019 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 7 नवंबर 2019 को एनजीटी द्वारा विचार किए जाने पर स्वीकार्य नहीं पाई गई।परिणामस्वरूप, एनजीटी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विशेषज्ञ समिति की संरचना को संशोधित किया:“8. यद्यपि समिति को दिनांकित 6.11.2018 रिपोर्ट के आदेश के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन 04.09.2019 पर लगभग 9 महीने से अधिक समय के बाद रिपोर्ट दायर की गई है।हम रिपोर्ट से पाते हैं कि समिति ने जेड. एम. पी. को इस पर निर्णायक माना है

ई.

च

जी.

13 “ सीपीसीबी "

एच.

165

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

इस आधार पर कि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्तता विश्लेषण परीक्षण पहले ही किया जा चुका है।यह दृष्टिकोण इस न्यायाधिकरण के निर्देशों के साथ असंगत है।यदि राज्य सरकार के विश्लेषण को अंतिम माना जाना था, तो समिति की कोई आवश्यकता नहीं थी।"11. पुनर्गठित समिति ने फिर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।विशेषज्ञ समिति ने अपीलार्थी की भूमि सहित दस चिन्हित स्थलों के विशेष संदर्भ के साथ डेटा का विश्लेषण करते हुए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह चित्रों के माध्यम से भूमि उपयोग में बदलाव की जांच की।इसके बाद एनजीटी ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर दलीलें सुनीं।29 जुलाई 2021 के अपने विवादित फैसले में, एनजीटी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रामाणिक आंकड़ों और समिति द्वारा क्षेत्र के दौरे पर आधारित थी और पर्याप्त कारणों से समर्थित है।एनजीटी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित करने का उद्देश्य विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करके कुछ निर्दिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना है।ऐसे क्षेत्र प्रजातियों, भू-आकृति विज्ञान विशेषताओं या पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित हो सकते हैं।एन. जी. टी. ने माना कि जैव-विविधता क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए उनके आसपास विनियमित बफर बनाना आवश्यक है ताकि उनकी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जा सके, निवास विनाश को रोका जा सके और नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा की जा सके।ई. एस. जेड. अधिसूचना की पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए, एन. जी. टी. ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने टी. एन.

ग

डी.

गोडावर्मन बनाम भारत संघ और अन्य। **14 ("टी. एन. गोदावरीमन")**

पूरे भारत में ई. एस. जेड. की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की गई और जब ऐसे ई. एस. जेड. की पहचान की गई, तो माउंट आबू को भी ई. एस. जेड. के रूप में मंजूरी दे दी गई।एनजीटी ने आगे कहा कि ईएसजेड को अधिसूचित करने का उद्देश्य ईपी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सतत विकास, अंतर-पीढ़ीगत समानता और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के सिद्धांतों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से एक निर्दिष्ट क्षेत्र को अपने पर्यावरण के अपरिवर्तनीय क्षरण से बचाना है।

ई.

च

12. इसके बाद एनजीटी ने विचाराधीन अलग-अलग साइटों से निपटने के लिए कदम बढ़ाया।वर्तमान अपीलों का विषय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की तालिका 16 में एक प्रविष्टि से संबंधित है।तालिका 16 का शीर्षक इस प्रकार हैः

जी.

“साइट विजिट/ग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ-साथ स्थानीय निवासियों/माउंट आबू नगर पालिका के अधिकारियों/नगर योजना विभाग के अधिकारियों/अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा के अनुसार माउंट आबू ईएसजेड के भीतर 10 चिन्हित स्थलों की उपयुक्तता 16-17 जनवरी 2020 "

14 1995 की रिट याचिका संख्या 202

एच.

विचाराधीन स्थल का मूल्यांकन, यानी अपीलार्थी की भूमि, तालिका 16 में निम्नानुसार सारणीबद्ध की गई हैः

ग

डी.

ई.

च

13. एनजीटी ने कहा कि उपरोक्त स्थल ("एसटीपी संयंत्र के पास") को वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।एनजीटी ने विशेषज्ञ समिति के इस विचार को भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट में उल्लिखित असाधारण स्थितियों को छोड़कर, हरित क्षेत्रों को गैर-हरित क्षेत्रों में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और एसटीपी को विधिवत बनाए रखा जाना चाहिए।एनजीटी ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस प्रकार निर्देश दिया कि जेडएमपी 2030 को तीन महीने के भीतर अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

जी.

एच.

167

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

14. अपीलार्थी की भूमि के संबंध में एनजीटी के निष्कर्षों को अपीलार्थी द्वारा एक समीक्षा आवेदन में चुनौती दी गई थी, जिसे 29 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया था।इसने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

डी. वकीलों की प्रस्तुतियाँ

15. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने दो दलीलें प्रस्तुत करने का आग्रह किया हैः

(i) सबसे पहले, एन. जी. टी., एन. जी. टी. अधिनियम द्वारा गठित एक न्यायिक निकाय होने के नाते, एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों से उत्पन्न पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से निपटने के लिए धारा 14 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ निहित है। एनजीटी ने जेडएमपी 2030 के संशोधन का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया था; और

ग

((ii) दूसरा, गुणों के आधार परःए। विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2020-15 में एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे एनजीटी के समक्ष नहीं रखा गया था और अपीलार्थी द्वारा 1 फरवरी 2021 को सूचना के अधिकार अनुरोध के माध्यम से प्राप्त किया गया था।मसौदा रिपोर्ट में, तालिका 23 माउंट आबू ई. एस. जेड. के भीतर दस चिन्हित स्थलों की उपयुक्तता से संबंधित है और इसमें इनमें से प्रत्येक स्थान पर जैव-विविधता पर टिप्पणी वाला एक कॉलम शामिल है।इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी की भूमि को वन्य जीवन, विशेष रूप से, सुस्ती भालू और तेंदुए की आवाजाही से घिरा हुआ दिखाया गया था। इस संदर्भ में, यह आग्रह किया गया कि एक अन्य स्थल (जिसे "सनराइज हाउसिंग सोसाइटी" के रूप में वर्णित किया गया है) के संबंध में तालिका 23 में इसी तरह की स्थिति मौजूद है।हालाँकि, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में, जैव-विविधता पर कॉलम गायब है, जो महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाता है जिसके आधार पर अंतिम सिफारिशें की गई थीं।अपीलार्थी का आरोप है कि जैव-विविधता पर कॉलम गायब है क्योंकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अपीलार्थी पर दूसरों का पक्ष लेने के लिए हेरफेर किया गया था; और बी।जबकि अन्य समान साइटों को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में मंजूरी दी गई है, अपीलार्थी को मंजूरी नहीं दी गई है।दूसरे शब्दों में,

डी.

ई.

च

जी.

15 “ मसौदा रिपोर्ट "

एच.

प्रस्तुतिकरण यह है कि रिपोर्ट "चुनें और चुनें" प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ी है।

16. इन दलीलों का विरोध करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमित सिब्बल ने निम्नलिखित दलीलों का आग्रह किया:(i) ई. एस. जेड. अधिसूचना, जो टी. एन. गोडावर्मन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के हस्तक्षेप के अनुसरण में जारी की गई है, माउंट आबू के पारिस्थितिक महत्व को मान्यता देती है, जिसमें कम ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और अधिक ऊंचाई पर सदाबहार वन शामिल हैं। (ii) जेड. एम. पी. 2030 ई. एस. जेड. अधिसूचना के अनुसार जारी किया गया था।

ग

(iii) विशेषज्ञ समिति में क्षेत्र विशेषज्ञ, नगर योजनाकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे जो सावधानीपूर्वक विश्लेषण और स्थल यात्राओं के बाद तालिका 16 में निर्दिष्ट स्थलों के साथ मुद्दों की पहचान करने के लिए आगे बढ़े।

डी.

((iv) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एहतियाती सिद्धांत पर आधारित है और चूंकि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

(v) एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I, अन्य बातों के साथ-साथ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 16 और ईपी अधिनियम को संदर्भित करती है;

ई.

(vi) ई. एस. जेड. अधिसूचना ई. पी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है;

(vii) 7 नवंबर 2019 के एनजीटी के आदेश ने प्रारंभिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसका पुनर्गठन किया।इस आदेश को अंतिम रूप मिल गया है क्योंकि इसे अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी;

च

(viii) अपीलार्थी मसौदा रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं थी क्योंकि यह एक अधूरी रिपोर्ट थी।इसके अलावा, मसौदा रिपोर्ट में साइट के खिलाफ इस प्रभाव का समर्थन किया गया है कि यह उपयुक्त नहीं था।इसके अलावा, विचाराधीन स्थल और अन्य (जैसे "सनसेट रोड स्कीम" और "सनराइज हाउसिंग सोसाइटी") के बीच एक वैध अंतर है जहां निर्माण की अनुमति दी गई है।"सूर्यास्त सड़क योजना" के मामले में, भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया गया था, जबकि इसके विपरीत, अपीलार्थी

जी.

16 “ एफ. सी. अधिनियम "

एच.

जेड. एम. पी. 2030 के तहत पर्यटन और आवासीय भवनों के लिए विचाराधीन स्थल को परिवर्तित करना स्वीकार किया है; और

(ix) जहां एक ओर, पर्यावरण विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की तालिका 16 में प्रत्येक स्थल पर विचार किया था, वहीं अपीलार्थी ने रिपोर्ट में किसी भी त्रुटि या विकृति को स्थापित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है जिसे एनजीटी द्वारा स्वीकार किया गया था।

ई एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र

17. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14-17 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि एन. जी. टी. के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन शामिल है और ऐसा प्रश्न एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत, एनजीटी को उप-धारा (1) में निर्धारित विवादों को सुनने और उन पर आदेश पारित करने का अधिकार है।धारा 15 (1) आगे राहत प्रदान करती है जो एनजीटी द्वारा दी जा सकती है, और निम्नानुसार हैः

ग

डी.

“15. राहत, क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति।—(1) न्यायाधिकरण

एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकते हैं -

(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली दुर्घटना सहित);

ई.

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए;

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, जो न्यायाधिकरण उचित समझे।"

च

17 “14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण।—(1) न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता होगी जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

(2) न्यायाधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और उन पर आदेश पारित करेगा।

जी.

(3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ थाः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।"

एच.

18. अनुसूची I में वर्णित कानूनों में एफ. सी. अधिनियम (प्रविष्टि 3) और ई. पी. अधिनियम (प्रविष्टि 5) शामिल हैं।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वर्तमान मामले में एनजीटी के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन में पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।माउंट आबू में ईएसजेड के संबंध में ईएसजेड अधिसूचना में निहित प्रावधानों से 'महत्वपूर्ण प्रश्न' उत्पन्न हुआ। ई. एस. जेड. अधिसूचना की उत्पत्ति ई. पी. अधिनियम से हुई है, जिसके तहत केंद्र सरकार को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के माध्यम से इसे जारी करने का अधिकार है।अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एनजीटी को धारा 15 (1) (सी) के तहत ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में पर्यावरण की बहाली का प्रावधान करने का अधिकार है।खंड 3 (1) में ई. एस. जेड. अधिसूचना इस संदर्भ में ई. एस. जेड. के लिए जेड. एम. पी. प्रदान करती है।ई. एस. जेड. अधिसूचना की शर्तों के साथ जेड. एम. पी. 2030 की अनुरूपता का आकलन करना स्पष्ट रूप से एन. जी. टी. के दायरे में आता है।

ग

19. मंत्री टेकजोन (पी) लिमिटेड बनामफॉरवर्ड फाउंडेशन 18, ए

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) एनजीटी को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। अदालत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने कहाः

डी.

"43. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित शक्ति और अधिकार क्षेत्र का एक पूरा द्वीप है। इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांतों को अब एनजीटी अधिनियम के तहत पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधार के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए, जहां कहीं भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण पर्यावरण के हित में पुनर्स्थापनात्मक उपाय करने के लिए धारा 20 लागू कर सकता है।"

ई.

च

20. नगर निगम में एक अन्य हालिया निर्णय में

ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य **19,** तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एन. जी. टी. भी स्वतः संज्ञानात्मक अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।सामान्य रूप से एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताते हुए, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहाः

जी.

"27. [एन. जी. टी. अधिनियम के] उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 2 में जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरकारों और लोगों से इसके लिए सामान्य प्रयास करने का आह्वान किया गया था।

18 (2019) 18 एससीसी 494

19 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 897 ए

एच.

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जब इसमें लोग और उनकी भावी पीढ़ी शामिल हों।इसलिए, न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बल्कि इसकी रक्षा के लिए भी इस तरह के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित नगरपालिका कानून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षात्मक, निवारक और उपचारात्मक कार्य के निर्वहन के लिए साधन प्रदान किया जाना चाहिए।द.

इसलिए एन**.** जी**.** टी**.** के अधिदेश और अधिकार क्षेत्र को व्यापक आयाम का माना जाता है और यह एक सुई जेनरिस फोरम की प्रकृति में है।

[...]

36. एन. जी. टी. के निर्माण के लिए प्रशंसनीय उद्देश्य हमें ऐसी व्याख्यात्मक प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे जो विधायी उद्देश्य को प्राप्त करेगी और प्रक्रियात्मक बाधाओं से बच जाएगी।

ग

असमर्थता कहना।इस न्यायालय के उदाहरण, एक ऐसे निर्माण का सुझाव देते हैं जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है [सारा]

मैथ्यू बनाम हृदय संवहनी रोग संस्थान, (2014) 2 एस. सी. सी. 62, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।नुस्ली नेविल वाडिया, (2008)

डी.

3 एससीसी **279]**।इस न्यायालय के लिए विकल्प उस व्याख्या की ओर झुकना होगा जो विधायी इरादे के फलने**-**फूलने की अनुमति देगा और दूरदर्शी है।प्रावधानों को उन्हें स्पष्ट करने के इरादे से पढ़ा जाना चाहिए**,** विशेष रूप से क्योंकि वे अनुच्छेद **21** के तहत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति और इसके नियामक पहलुओं से भी निपटते हैं।

ई.

[...]

38. जबकि वैधानिक प्रावधानों पर, यह देखा जाता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम, 2011 (संक्षेप में "एनजीटी नियम") तैयार किए हैं।हमारे उद्देश्य के लिए, नियम 24 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार हैः

च

“24. कुछ मामलों में आदेश और निर्देश-न्यायाधिकरण अपने आदेश को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश या ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक या समीचीन हों।"

जी.

39. उक्त नियम यह स्पष्ट करते हैं कि एनजीटी को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं।यह शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है।इरादा समझ में आता है

एच.

पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को संरक्षित और संरक्षित करना।

40. व्यापक महत्व के एक वाक्यांश को नियोजित करने का विकल्प चुनकर, यानी न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, विधायिका एक उदार व्याख्या की ओर बढ़ी है।न्याय प्राप्त करना व्यापक आयाम का एक शब्द है और इसका मतलब केवल दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच विवादों का निर्णय लेना नहीं है।

इकाइयाँ।इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरणीय अधिकारों के कारणों को आगे बढ़ाना, आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना, पर्यावरणीय सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं बनाना और यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को निष्क्रियता के लिए फटकार लगाना भी शामिल है।

ग

41. इसके अलावा, दीवानी अदालतों के विपरीत जो पक्षों द्वारा मांगी गई राहत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एनजीटी को शक्ति प्रदान की जाती है

किसी भी राहत को ढालने का।प्रावधानों से पता चलता है कि एनजीटी के पास उचित राहत देने की व्यापक शक्ति है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित हो सकती है, भले ही इस तरह की राहत के लिए पक्षों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया हो।"

डी.

(जोर दिया गया)

21. एन. जी. टी. ने ई. एस. जेड. अधिसूचना के आधार पर जेड. एम. पी. 2030 का परीक्षण करने में अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उससे अधिक कार्य नहीं किया है।यह पता चलने पर कि 7 नवंबर 2019 को इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय उसके द्वारा नियुक्त पूर्व विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं थी, एनजीटी ने एक और विशेषज्ञ समिति का गठन किया।समिति में पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ सी. पी. सी. बी. और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे। विशेषज्ञ समिति को ई. एस. जेड. अधिसूचना की शर्तों के साथ जेड. एम. पी. 2030 की अनुरूपता का आकलन करने के अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एन. जी. टी. को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था।विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, एनजीटी ने उस पर आपत्तियां सुनीं और एक तर्कपूर्ण आदेश दिया कि वह रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्यों स्वीकार कर रहा है।इसलिए, इस दलील में कोई दम नहीं है कि एनजीटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है।

ई.

च

जी.

एफ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के गुण

22. अपीलार्थी के प्रस्तुतिकरण का दूसरा अंग गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ता है।विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई मसौदा रिपोर्ट में विज्ञापन देने के लिए अपीलार्थी की ओर से एक गलत प्रयास किया गया है।मसौदा रिपोर्ट एक आंतरिक दस्तावेज ए के दायरे में थी।

एच.

173

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

और सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं था।जाहिर है, मसौदा रिपोर्ट विचार-विमर्श का विषय था, और यह केवल अंतिम रिपोर्ट है जो एनजीटी को प्रस्तुत की गई थी जो विशेषज्ञ समिति के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी।इसलिए, अपीलार्थी की याचिका में कोई योग्यता नहीं है जो मसौदा रिपोर्ट पर आधारित है।

23. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में तालिका 16 में दस स्थलों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है।चूंकि अपीलार्थी की भेदभाव की याचिका "सनसेट रोड स्कीम" और "सनराइज हाउसिंग सोसाइटी" से संबंधित अवलोकन पर आधारित है, इसलिए उपरोक्त दो स्थलों पर विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों को निकालना महत्वपूर्ण होगा।उन स्थलों के संबंध में तालिका 16 का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

ग

साइट का नाम	स्थान (अक्षांश और सटीकता/ऊंचाई के साथ लंबा); ढलान (oo)	वर्तमान भूमि उपयोग और वनस्पति प्रकार/आवरण (%)	अनुशंसा (ये सभी निर्माण वन सीमा और जल निकाय से 50 मीटर और आर्द्रभूमि/नदी से 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए।
सूर्यास्त सड़क योजना	24 o 35 '11.49 "N 72 o 42' 13.79" E (± 3m) 1169 मीटर; इस स्थल पर अधिकांश भूमि में ढलान <20° है।	आवासीय (आंशिक रूप से निर्मित/आंशिक रूप से खाली); खुले झाड़ू/अलग-थलग पेड़ (<10 प्रतिशत)	यह स्थल ग्रेनाइट के साथ तहखाने की चट्टान के रूप में स्थिर है। यह स्थल वन भूमि के करीब है। इसलिए, किसी भी निर्माण गतिविधि की शुरुआत से पहले वन और जल धारा के साथ एक बफर ज़ोन के ई. एस. जेड. मानदंडों का पालन करना चाहिए। राजस्थान राज्य में फार्म हाउस के लिए पहले से मौजूद प्रावधान को वन विभाग से एन. ओ. सी. के अधीन निर्माण के कुल क्षेत्र के 1o% या 5000 वर्ग फुट (जो भी कम हो) के भत्ते के साथ लागू किया जा सकता है। निष्कर्षः स्थल निर्माण के लिए उपयुक्त है।

सनराइज हाउसिंग सोसाइटी	24 o 34 '55.26 "N 72 o 43' 38.12" E (± 3m) 1137 मीटर; इस स्थल पर अधिकांश भूमि में ढलान <20° है।	खाली; अलग-अलग पेड़ों के साथ झाड़ी खोलें (> 20 प्रतिशत)	तहखाने की चट्टान ग्रेनाइट है और इस स्थान पर बहुत पतली मिट्टी के आवरण के साथ अच्छी तरह से उजागर है। यह स्थल एक स्थानीय प्राकृतिक धारा (नाला) के पास है। इसलिए, मानदंडों के अनुसार किसी भी निर्माण गतिविधि से पहले जल धारा और वन के साथ बफर ज़ोन के ईएसजेड मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। यह स्थल निवास से घिरा हुआ है ताकि यह स्थानीय लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा कर सके। इस प्रकार, यह स्थल स्थिर है और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त है। ईएसजेड में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। निष्कर्षः स्थल निर्माण के लिए उपयुक्त है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

24. उपरोक्त उद्धरण से, यह स्पष्ट है कि सनसेट रोड योजना द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि को आवासीय (आंशिक रूप से निर्मित, आंशिक रूप से खाली) बताया गया है और सनराइज हाउसिंग सोसाइटी के संबंध में, भूमि उपयोग को खाली बताया गया है।जहाँ तक इस अपील ("एसटीपी संयंत्र के पास") में विवादित स्थल के संबंध में, विशेषज्ञ समिति ने यह निर्धारित करने के लिए वैध कारण प्रस्तुत किए हैं कि निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके।विशेषज्ञ समिति ने नोट किया है कि आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित स्थल कम ढलानों की भूमि को कवर करता है जो स्थिर है, यह उच्च ढलान क्षेत्र वाली भूमि को भी कवर करता है जो निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।उच्च ढलान क्षेत्र वाले स्थानों पर, मिट्टी के कटाव के मामले में परिदृश्य को नाजुक माना गया था।इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने राय दी कि प्रस्तावित पर्यटन सुविधा केंद्र वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है।इसके अतिरिक्त, हालांकि कम ढलान वाला क्षेत्र निर्माण के लिए उपयुक्त हो सकता है, यह स्थल वन्यजीवों के लिए एक निवास स्थान है और क्षेत्र की यात्रा के दौरान स्लोथ भालू के पैरों के निशान भी देखे गए थे।यह इस संदर्भ में था कि विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित किया कि पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए साइट पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इसकी तुलना में, "सनसेट रोड स्कीम" और "सनराइज हाउसिंग सोसाइटी" स्थलों के संदर्भ में तालिका 16 में निहित अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि निर्माण के लिए स्थलों के स्थान और उपयुक्तता में भौतिक अंतर है।

ग

डी.

ई.

जी एहतियाती सिद्धांत

25. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एहतियाती सिद्धांत के अनुरूप है।इसलिए रिपोर्ट को एनजीटी द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया है क्योंकि यह एनजीटी अधिनियम की धारा 20 के तहत एहतियाती सिद्धांत का पालन करने के लिए अनिवार्य है। एनजीटी अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार बताती हैः

च

“20. कुछ सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण।—न्यायाधिकरण करेगा,

किसी भी आदेश या निर्णय या पुरस्कार को पारित करते समय, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करें।"

जी.

26. एहतियाती सिद्धांत पर्यावरण और विकास 1992 पर रियो घोषणा के सिद्धांत 15 में अपना स्पष्ट विस्तार पाता है, जिसमें कहा गया हैः

“पर्यावरण की रक्षा के लिए, राज्यों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार एहतियाती दृष्टिकोण को व्यापक रूप से लागू किया जाएगा।

एच.

175

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

जहाँ गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति के खतरे हैं, वहाँ पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी का उपयोग पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में नहीं किया जाएगा।"27. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 20 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय न्यायशास्त्र में इस सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि

इसके लिए राज्य को वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद भी वास्तविक पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।न्यायालय ने कहाः

"48. विकास और पर्यावरण की सुरक्षा दुश्मन नहीं हैं।यदि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना या सख्त सुरक्षा उपायों को लागू करके उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम किए बिना, सतत विकास के सिद्धांतों को लागू करते हुए विकास गतिविधियों को जारी रखना संभव है, तो उस स्थिति में, विकास को जारी रखना होगा क्योंकि कोई भी उद्योग, सिंचाई संसाधनों और बिजली परियोजनाओं आदि के विकास की आवश्यकता को नहीं भूल सकता है, जिसमें रोजगार के अवसरों में सुधार और राजस्व सृजन की आवश्यकता शामिल है।एक संतुलन बनाना होगा। सिद्धांत 15

ग

डी.

1992 का रियो सम्मेलन **[**एड।एहतियाती सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में **(1999) 2** एस**.** सी**.** सी**. 718,733** में उद्धृत**,** जो यह निर्धारित करता है कि जहां गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति के खतरे हैं**,** पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी का उपयोग पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में नहीं किया जाएगा**,** उसे भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।ऐसे मामलों में**,** कई बार**,** अपनाए जाने का विकल्प बहुत आसान नहीं होता है या एक स्ट्रेटजैकेट में नहीं होता है।यदि किसी गतिविधि को आगे बढ़ने दिया जाता है**,** तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है और यदि इसे रोका जाता है**,** तो आर्थिक हित को अपूरणीय क्षति हो सकती है।संदेह के मामले में**,** पर्यावरण की सुरक्षा को आर्थिक हित से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।एहतियाती सिद्धांत में नुकसान को रोकने के लिए अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता होती है।उचित संदेह पर भी नुकसान को रोका जा सकता है।यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान के प्रत्यक्ष प्रमाण होने चाहिए।**"**

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया)

20 (2004) 12 एससीसी 118

एच.

28. रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल

संसाधन नीति बनाम भारत संघ 21, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि एहतियाती सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 47,48-ए और 51-ए (जी) से उत्पन्न होता है।न्यायालय ने कहाः

"16. एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में कानूनी स्थिति जो हमारे देश में सतत विकास की अवधारणा का हिस्सा हैं, अब अच्छी तरह से तय हो गई है।वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ [(1996) 5 एस. सी. सी. 647] में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विकसित सिद्धांतों और "सतत विकास" की अवधारणा का उल्लेख करने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत अब हमारे देश में कानून को संचालित करते हैं, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 47,48-ए और 51-ए (जी) से स्पष्ट है और वास्तव में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सहित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों में, ये अवधारणाएं पहले से ही निहित हैं।माना जाता है कि ये सिद्धांत हमारे कानून का हिस्सा बन गए हैं।इसके अलावा, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच मामले [(1996) 5 एस. सी. सी. 647] में यह देखा गया कि इन सिद्धांतों को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय

कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसलिए उन्हें हमारे घरेलू कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

ग

डी.

ई.

29. इस स्थिति को तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया है

इस न्यायालय ने मुदुमलाई बनाम पर्यावरण और पशुओं की रक्षा मामले में 22.न्यायालय ने कहा हैः

“39...जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता (बडखल और सूरजकुंड झील मामले) बनाम भारत संघ [एम. सी. मेहता (बडखल और सूरजकुंड झील मामले) बनाम भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 715] में अभिनिर्धारित किया गया था।

च

"एहतियाती सिद्धांत" को हमारे देश के कानून के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है।संविधान के अनुच्छेद **21,47,48-**ए और **51-**ए **(**जी**)** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देते हैं।भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे।

जी.

21 (2005) 10 एससीसी 510 22 (2020) 10 एससीसी 589 ए

एच.

177

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

जीवित प्राणी।एहतियाती सिद्धांत राज्य सरकार के लिए पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना**,** उन्हें रोकना और उन पर हमला करना अनिवार्य बनाता है।इसमें

हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सिगुर पठार क्षेत्र में हाथियों की आबादी की रक्षा के लिए, राज्य सरकार के लिए हाथी गलियारे के भीतर आने वाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधि को सीमित करना आवश्यक और उचित था।"

(जोर दिया गया) 30।बृहन्मुंबई नगर निगम (ऊपर) में,

इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में एहतियाती सिद्धांत के बारे में विस्तार से बतायाः

ग

“79. ऊपर निर्धारित सिद्धांत को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आयाम में लागू होना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल न्यायिक उद्देश्यों के लिए किया जाए**,** बल्कि सरकारी अधिकारियों या प्रदूषकों को अन्य 'निर्णयों' या 'आदेशों' के लिए भी किया जाए**,** जब वे

"पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाने**,** रोकने और उन पर हमला करने में विफल" **[**वेल्लोर सिटिजन्स **(**सुप्रा**),** एस**.**

डी.

जगन्नाथन बनाम भारत संघ, (1997) 2 एस. सी. सी. 87, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड बनाम सी. केंचप्पा, (2006)

6 एस**.** सी**.** सी**. 371]**इसलिए दो पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए अर्थात न्यायाधिकरण को स्वयं निवारक और सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है**,** साथ ही सरकारी और निजी अधिकारियों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए।

ई.

पर्यावरण हित।इस प्रकार, एन. जी. टी. की शक्तियों के लिए एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण क्षेत्र के भीतर मंच की शक्ति के पूर्ण प्रवाह की अनुमति देता है।80. यह न केवल बयानबाजी का विषय है कि न्यायाधिकरण को हमेशा सतर्क रहना है, बल्कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं से निपटने के लिए शीघ्रता से कार्य करने की एक महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी भी है।जिम्मेदारी केवल कानूनी अस्पष्टताओं को हल करने की नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक तर्कपूर्ण और उचित परिणाम पर पहुंचने की है जो प्रतिकूल होने के साथ-साथ गैर-प्रतिकूल भी हैं।"

च

जी.

(जोर दिया गया)

31. एहतियाती सिद्धांत के तहत राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को होने से रोकने के लिए पहले से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, न कि एक बार नुकसान होने के बाद उपाय अपनाने की।इस तरह की कार्रवाई कब की जाए, यह तय करने में राज्य सटीक वैज्ञानिक नुकसान की गणना करने में वैज्ञानिक अनिश्चितता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकता है।एच. पी. बस स्टैंड में

एच.

178 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

प्रबंधन और विकास प्राधिकरण बनाम केंद्रीय अधिकार प्राप्त

समिति 23, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने "कानून के पर्यावरणीय नियम" के अनुपालन में पर्यावरण विनियमन का मार्गदर्शन करने के लिए वैचारिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत संरचनाओं का निर्माण करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया।न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विनियमन नीति, नियामक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच एक बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण से उत्पन्न होने चाहिए।न्यायालय ने कहाः

“49. कानून का पर्यावरणीय शासन, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है।लेकिन इसमें विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं जो पर्यावरण शासन के लिए अद्वितीय हैं, ऐसी विशेषताएं जो हैं -

अपने आप में सामान्य।कानून का पर्यावरण नियम पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा में संरचना लाने के लिए आवश्यक उपकरण**-** वैचारिक**,** प्रक्रियात्मक और संस्थागत बनाने का प्रयास करता है।यह पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है**-**कि अतीत में प्रकृति के साथ मानवता के संपर्क से उन्हें कैसे आकार दिया गया है**,** वर्तमान में प्रकृति के साथ इसके जुड़ाव और भविष्य की संभावनाओं से वे कैसे प्रभावित होते रहते हैं**,** अगर हम मानवता के कार्यों द्वारा निर्धारित विनाश के मार्ग को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं।कानून का पर्यावरण नियम कार्बन पदचिह्नों की प्रकृति और परिणामों के बहु**-** अनुशासनात्मक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है और ऐसा करने में यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान**,** नियामक निर्णयों और नीतिगत दृष्टिकोणों के बीच एक साझा समझ लाता है।यह मानता है कि कानून के पर्यावरणीय शासन में **"**कानून**"** तत्व अवधारणा को विशेष रूप से वकीलों और न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए नहीं बनाता है।इसके विपरीत**,** यह पर्यावरण क्षरण**,** जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहता है।कानून का पर्यावरणीय नियम इन अवधारणाओं की एक एकीकृत समझ चाहता है।सतत विकास**,** प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और जैसी अवधारणाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

विश्वास का सिद्धांत।प्रकृति का ब्रह्मांड अविभाज्य और एकीकृत है।पृथ्वी के एक भाग में पर्यावरण की स्थिति प्रभावित करती है और दूसरे में जो होता है उससे मूल रूप से प्रभावित होती है।

23 (2021) 4 एससीसी 309 ए

एच.

179

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

भाग।पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करता है।यह अविभाज्य बंधन और जुड़ाव है जिसे कानून का पर्यावरणीय नियम मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तलाशना और समझना चाहता है।पर्यावरण का नियम

कानून स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने वाले हमारे कार्यों के परिणामों को समझने की आवश्यकता पर आधारित है।महासागरों में वृद्धि न केवल समुद्री समुदायों के लिए खतरा है।तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों के कमजोर होने और बढ़ते मरुस्थलीकरण के परिणाम उन समुदायों और जीवों से परे हैं जिनके आवास खतरे में हैं।वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं।कानून का पर्यावरणीय नियम प्राकृतिक पर्यावरण में संबंधों की समझ बनाने का प्रयास करता है जो जीवित रहने के मुद्दे को एक एकीकृत चुनौती बनाता है जो हर जगह मानव समाजों का सामना करता है। यह उन सिद्धांतों को तैयार करने के लिए अतीत की अनुभवात्मक सीख पर निर्माण करना चाहता है जो वर्तमान और भविष्य में पर्यावरण विनियमन के निर्माण स्तंभ बनने चाहिए।कानून का पर्यावरण नियम वैज्ञानिक शिक्षा, कानूनी सिद्धांत और नीतिगत हस्तक्षेप के बीच अंतर को पहचानता है और इसे एकीकृत करने का प्रयास करता है।महत्वपूर्ण रूप से, यह पर्यावरण पर नियामक शासन प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, प्रक्रियाओं और मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।ऐसा करने में, यह पर्यावरण की चिंताओं पर खुले, जवाबदेह और पारदर्शी निर्णय लेने की व्यवस्था को बढ़ावा देता है।यह सहभागी शासन के महत्व को बढ़ावा देता है-उन लोगों को आवाज देने में मूल्य जो पर्यावरण नीतियों और सार्वजनिक परियोजनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं।कानून के पर्यावरणीय शासन की संरचनात्मक रूपरेखा मूल, प्रक्रियात्मक और संस्थागत तत्वों से बनी है।उपकरण।

ग

डी.

ई.

च

विश्लेषण कानूनी अवधारणाओं से परे है।ढांचे का परिणाम इसके भागों के कुल योग से कहीं अधिक है।यह जिन तत्वों को मूर्त रूप देता है, वे प्रकृति के वरदानों को अस्तित्व के खतरों से बचाने की आकांक्षा रखते हैं।क्योंकि यह इस सार्वभौमिक मान्यता पर आधारित है कि मानव अस्तित्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जनन कैसे करते हैं।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

न्यायालय ने वैज्ञानिक अनिश्चितता के बीच ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। हालाँकि, इसने नोट किया कि वैज्ञानिक अनिश्चितता के कारण न्यायालयों को निष्क्रियता में नहीं धकेला जा सकता है, लेकिन जो भी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्णय लेना चाहिए।न्यायालय ने कहाः

"53. हालाँकि, कानून के पर्यावरणीय नियम के ढांचे का उपयोग करते समय भी, हमें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह यह है-जब निर्णय लेने वाले निकायों को पर्यावरणीय उल्लंघनों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, तो जो सटीक नुकसान हुआ है, वह अक्सर इसके लिए अतिसंवेदनशील नहीं होता है।

ठोस मात्रा निर्धारण।जबकि ढांचा पर्यावरणीय विवादों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह न्यायिक विचार के लिए आने वाली विविध तथ्यात्मक स्थितियों में होने वाले नुकसान को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान नहीं करता है।इस तरह के नुकसान के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है जो अक्सर व्यक्तिगत स्थितियों में आना मुश्किल होता है।

ग

डी.

54...इसलिए, मुद्दा केवल यह है-कानून का पर्यावरणीय नियम हमें, न्यायाधीशों के रूप में, पर्यावरण कानून के उल्लंघन के लिए कठोर और निर्णायक तरीके से जवाब देने के लिए रिकॉर्ड से उभरने वाले ज्ञान को सीमित करने के लिए कहता है, हालांकि यह कभी-कभी सीमित हो सकता है।

ई.

जिस तरह से पर्यावरण कानून का उल्लंघन हुआ है या इसके पूर्ण प्रभावों के बारे में पूर्ण विवरण तक पहुंच नहीं होने से हम निष्क्रियता से चकित नहीं हो सकते हैं।इसके बजाय, हम जिस अपूर्ण दुनिया में रहते हैं, उसे स्वीकार करते हुए यह ढांचा पर्यावरण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, इसके बावजूद परिणामों के स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है।"

च

(जोर दिया गया)

32. एहतियाती सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि राज्य केवल इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि सभी वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।यदि कुछ आंकड़े बताते हैं कि पर्यावरण क्षरण संभव है, तो राज्य को इसे होने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए।वास्तव में, यह विचार ही था जिसने इस न्यायालय को टी. एन. गोडावर्मन (उपरोक्त) मामले में राज्य को पूरे भारत में ई. एस. जेड. की पहचान करने का निर्देश देने के लिए मजबूर किया, ताकि उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कदम उठाए जा सकें जहां पर्यावरण क्षरण की अधिक संभावना है और एक योजना ए.

जी.

एच.

181

प्रज्ञा शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इससे पहले कि यह वास्तव में नुकसान को अपरिवर्तनीय बना दे, इस तरह के क्षरण को रोकने के लिए जगह बनाई जाए।

33. ई. एस. जेड. अधिसूचना के तहत माउंट आबू की पहचान ई. एस. जेड. के रूप में की गई थी।ऐसा करने का कारण यह है कि राज्य ने माना है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यावरणीय क्षरण एक वास्तविक संभावना है।विकासात्मक गतिविधियों के कारण काफी मात्रा में मिट्टी का कटाव, वायु और जल प्रदूषण पहले ही हो चुका है।ईएसजेड अधिसूचना में पाठ माउंट आबू के पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हैं क्योंकि इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और सदाबहार वन दोनों शामिल हैं; इसकी वनस्पतियों और जीवों में कई स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं; और इसमें न केवल नक्की झील जैसी प्राकृतिक विरासत ही नहीं बल्कि दिलवाड़ा मंदिरों जैसे मानव निर्मित विरासत स्थल भी शामिल हैं।ईएसजेड अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजस्थान राज्य को जेडएमपी 2030 तैयार करने की आवश्यकता थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एहतियाती सिद्धांत का पालन करते हुए संभावित पर्यावरणीय क्षरण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में भविष्य की विकास गतिविधियों की योजना बनाई जा सके।ई. एस. जेड. अधिसूचना संघ विधान के एक वैधानिक अधिदेश द्वारा समर्थित है।यह अधिसूचना माउंट आबू के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक प्रवर्तनीय चार्टर है। प्रत्येक प्राधिकारी अपनी शर्तों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उल्लंघन में किसी भी कार्रवाई को अमान्य होने का खतरा होना चाहिए।

ग

डी.

एच निष्कर्ष

ई.

34. इसलिए, हमारा मानना है कि एनजीटी के 10 मार्च 2021 और 29 जुलाई 2021 के फैसले और आदेश ने जेडएमपी 2030 को ईएसजेड अधिसूचना और एहतियाती सिद्धांत के अनुरूप लाने के लिए सही ढंग से संशोधित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से, इसने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश को सही ढंग से बरकरार रखा कि अपीलार्थी की भूमि पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

च

35. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और यह तदनुसार खारिज हो जाएगी।

जी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज की जाती है।

एच.